

FORM No. III

फर्द अहकाम(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

प्रार्थना पत्र /11..... / 2023

प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट.


उनवान

रत्ता उर्फ रत्तीराम पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल नि0 परासली तहसील रायपुर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड राज0

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिषियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
24/23	<p>प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि को दुरुस्त करने बाबत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर निवेदन किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण मे रिपोर्ट तहसीलदार ली गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपने गोद पिता के स्थान पर गया अपने असली पिता का नाम दर्ज करवाने की शुद्धि चाहता हैं जो उचित नहीं है।</p> <p>अतः प्रकरण धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत नही आने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रकरण खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।</p>	


उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
पिडावा, जिला झालावाड राज0

